

प्रेस नोट संख्या- 15

दिनांक 09.02.2025

सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

थाना मुसाफिरखाना पुलिस द्वारा 310 ग्राम स्मैक (अनुमानित कीमत 31 लाख रुपये) व चोरी की 01 मोटरसाइकिल के साथ अन्तर्जनपदीय शातिर अभियुक्त गिरफ्तार ।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 09.02.2025 को उ0नि0 हेमनारायण सिंह थाना मुसाफिरखाना मय हमराह द्वारा तलाश वांछित, देखभाल क्षेत्र व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त संजय सिंह पुत्र जयनरायन सिंह निवासी जमुवारी थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी उम्र करीब 48 वर्ष को ब्लाक रोड रेलवे तिराहा के पास से समय करीब 03:30 बजे रात्रि में पैशन मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया । तलाशी से अभियुक्त के कब्जे से 310 ग्राम स्मैक बरामद हुई । पैशन मोटरसाइकिल नं0 यूपी 44 सी 8379 के कागज मांगने पर दिखा न सका । जिसके बारे में पूछने पर अभियुक्त ने बताया कि यह मोटरसाइकिल चोरी की है, जिसे काफी समय पहले मैं अमेठी से चोरी किया था । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना मुसाफिरखाना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है । गिरफ्तार अभियुक्त अन्तर्जनपदीय शातिर अपराधी है । जिसके विरुद्ध जनपद अमेठी सहित सुलतानपुर, प्रयागराज, रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ, गोण्डा, गोरखपुर, वाराणसी आदि जनपदों में विभिन्न धाराओं में कुल 26 अभियोग पंजीकृत है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

- संजय सिंह पुत्र जयनरायन सिंह निवासी जमुवारी थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी उम्र करीब 48 वर्ष ।

बरामदगी

1. कुल 310 ग्राम स्मैक (अनुमानित कीमत लगभग 31 लाख रुपये)
2. चोरी की पैशन मोटरसाइकिल नं0- यूपी 44 सी 8379

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 321/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट व 317(2) बीएनएस थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. उ0नि0 हेमनारायण सिंह थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
2. उ0नि0 मुकेश कुमार थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
3. हे0का0 रमेश चन्द्र यादव थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
4. हे0का0 अमित यादव थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
5. का0 चन्दन कन्नौजिया थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 370/07 धारा 394,386,364ए,411 भादवि थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
2. मु0अ0सं0 279/13 धारा 279,307 भादवि व 3,5,8 गोवध अधि० थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी ।
3. मु0अ0सं0 361/14 धारा 3,5,8 गोवध अधि० व 11 पशु कुरता थाना असोहा जनपद उन्नाव ।

4. मु०अ०सं० 181/14 धारा 307,420,467,468,471 भादवि थाना मिलएरिया जनपद रायबरेली ।
5. मु०अ०सं०186/14 धारा 3,5,8 गोवध अधि० थाना मिलएरिया जनपद रायबरेली ।
6. मु०अ०सं० 105/17 धारा 147,506,427 भादवि थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
7. मु०अ०सं० 58/20 धारा 3,5,8 गोवध अधि० व 11 पशु क्रूरता व 420 भादवि थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ ।
8. मु०अ०सं० 102/20 धारा 323,504,506 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध,3(2)va एसी/एटी एक्ट थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
9. मु०अ०सं० 154/14 धारा 307,420,467,468,471 भादवि थाना सरैनी जनपद रायबरेली ।
- 10.मु०अ०सं० 186/14 धारा 3,5क,8 गोवध अधि० व 11 पशु कुरता अधि० थाना सरैनी जनपद रायबरेली ।
- 11.मु०अ०सं० 105/19 धारा 307 भादवि थाना सरैनी जनपद रायबरेली ।
- 12.मु०अ०सं० 21/19 धारा 2/3 यू०पी० गैंग० एक्ट सरैनी जनपद रायबरेली ।
- 13.मु०अ०सं० 292/22 धारा 3.5.8 गोवध अधि० व 11 पशु क्रूरता व 420 भादवि व 120बी, 419,420 भादवि थाना असोहा जनपद उन्नाव ।
- 14.मु०अ०सं० 140/17 धारा 419,420,467,468 भादवि थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
- 15.मु०अ०सं० 312/19 धारा 379,411 भादवि थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
- 16.मु०अ०सं० 231/19 धारा 60,60(1),63 आबकारी अधिनियम व 120बी,272,273 भादवि थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
- 17.मु०अ०सं० 24/2021 धारा 147,323,354,452,504,506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
- 18.मु०अ०सं० 503/18 धारा 307,420,467,468,471 भादवि व 3,5ए,8 गो०हत्या नि० अधि० थाना बडगाँव जनपद गोरखपुर ।
- 19.मु०अ०सं० 66/21 धारा 420 भादवि व 11 पशु०क्रु०नि०अधि० व 3,5ए,8,5 गौ०हत्या०नि० अधिनियम थाना सैयदराज जनपद चन्दौली ।
- 20.मु०अ०सं० 129/19 धारा 2/3 उ०प्र० गिरोह बन्द स० विरोधी क्रि०कलाप थाना सरैनी जनपद रायबरेली ।
- 21.मु०अ०सं० 3/21 धारा 3,5ए,8 गौहत्या नि० अधि० व 11 पशु०क्रु०नि०अधि० व 207 एमबी एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
- 22.मु०अ०सं० 1212/19 धारा 406, 419, 420, 471 भादवि थाना को०नगर जनपद सुलतानपुर ।
- 23.मु०अ०सं० 24/23 धारा 467, 468, 471 भादवि व 3,5ए,8,गौ०हत्या०नि० अधिनियम व 11 पशु०क्रु०नि०अधि० थाना धरवई जनपद प्रयागराज ।
- 24.मु०अ०सं० 30/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना धरवई जनपद प्रयागराज ।
- 25.मु०अ०सं० 265/21 धारा 3,5,8,गौ हत्या नि० अधिनियम व 11 पशु०क्रु०नि०अधि० थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर ।
- 26.मु०अ०सं० 762/20 धारा 3,5,8,गौ हत्या नि० अधिनियम व 11 पशु०क्रु०नि०अधि० थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर ।